आवश्यक/समयबद्ध/तत्काल

संख्या:14/2020/1057/12-2-2020-67/2004

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 09 जून, 2020

विषय: खरीफ अभियान 2020 के अन्तर्गत अधिक फसलोत्पादन के लिए मण्डलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठियों के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या: नि0 (2)/07/खरीफ गोष्ठी/2020-21 दिनांक 05 जून, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा खरीफ अभियान 2020 के अन्तर्गत अधिक फसलोत्पादन के लिए मण्डलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठियों के आयोजन कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खरीफ अभियान 2020 के अन्तर्गत अधिक फसलोत्पादन के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से निम्नानुसार कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश, शासन की अध्यक्षता में मण्डलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठियों का आयोजन पूर्वान्ह 11.30 बजे से कराये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र0सं0	संबंधित मण्डल का नाम	गोष्ठी के तकनीकी सत्र हेतु उत्तरदायी विश्वविद्यालय/स्थल	दिनांक
1	सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद एवं बरेली	सरदार बल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ	12 जून, 2020
2	लखनऊ, कानपुर, आगरा एवं अलीगढ	चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर	15 जून, 2020
3	बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ, अयोध्या एवं देवीपाटन	आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या	18 जून, 2020
4	चित्रकूट, झांसी	बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा	23 जून, 2020
5	वाराणसी, प्रयागराज एवं मिर्जापुर	संबंधित मण्डल मुख्यालय का एन0आई0सी0 कार्यालय	25 जून, 2020

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. उक्त गोष्ठियों में संबंधित विश्वविद्यालयों में कृषि वैज्ञानिक/विशेषज्ञ तथा सीमित संख्या में प्रगतिशील कृषकों को भी सम्मिलित किया जायेगा। साथ ही संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी व विभागीय अधिकारी अपने-अपने जनपदों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे व सीमित संख्या में प्रगतिशील किसानों को भी आमंत्रित करेंगे।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 14/2020/1057(1)/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कुलपति, सरदार बल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. कुलपति, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. कुलपति, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।